प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 102/2012

याचिकाकर्ता **जी.एस.देवांगन,**

विरूद्ध

प्रतिवादीगण **छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**

---

30 जनवरी 2012 को आदेश के लिए सूचीबद्ध करें

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षर/-

प्रशांत कुमार मिश्रा

न्यायमूर्ति

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

रिट याचिका (एस) क्रमांक 102 **सन्** 2012

याचिकाकर्ता **जी.एस.देवांगन,**

विरूद्ध

प्रतिवादीगण **छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**

उपस्थित

श्री टी.के. तिवारी अधिवक्ता याचिकाकर्ता की ओर से

श्री एन.नाहा राय, पैनल अधिवक्ता राज्य की ओर से

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

(30 **जनवरी** 2012 **को पारित**)

प्रशांत कुमार मिश्रा, न्यायमूर्ति,

1. याचिकाकर्ता जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन में कार्यपालन अभियंता के पद पर कार्यरत है, ने विभाग के संयुक्त सचिव द्वारा दिनांक 02-12-2011 को पारित निलम्बन के आक्षेपित आदेश को इस आधार पर चुनौती दी है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा उसे रु. 10,000/- (दस हजार रुपये मात्र) की अवैध परितोषण/अनुचित लाभ स्वीकार करते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने के उपरान्त उक्त आदेश पारित किया गया।

   छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 (संक्षेप में "नियम, 1966") के नियम 9(2) के अधीन निलंबित किया गया है।

2. यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता को दिनांक 09-09-2010 को अनुलग्नक -पी/1 के माध्यम से एक बार निलंबित किया गया था तथा दिनांक

25-10-2011 को अनुलग्नक-पी/2 के माध्यम से पुनः बहाल किया गया था, अतः उसका नवीन निलंबन आदेश अवैध है।

3. तथापि, जब अपील दायर करने के उपलब्ध उपचार के संबंध में प्रश्न किया गया, तो विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि ऐसी अपील महामहिम छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। तथापि, चूंकि आक्षेपित आदेश राज्यपाल के नाम से पारित किया गया है, अतः अपील का उक्त उपचार वास्तव में उपलब्ध नहीं है।

4. इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना है तथा रिट याचिका के साथ संलग्न अभिलेखों का परीशीलन किया है।

5. यह न्यायालय सर्वप्रथम निलंबन के आदेश को चुनौती देने हेतु वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता के विषय पर विचार करेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. स्वीकृत रूप से, याचिकाकर्ता को कथित रूप से रु. 10,000/- (दस हजार रुपये मात्र) की अवैध लाभ स्वीकार करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। उसे दिनांक 09-09-2010 को इस आधार पर निलंबित किया गया था कि उसे हिरासत में लिया गया तथा 48 घंटे से अधिक समय के लिए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था, अतएव उसे निलंबित किया गया। वर्तमान आक्षेपित निलंबन आदेश भिन्न आधार पर पारित किया गया है, क्योंकि वर्तमान निलंबन आदेश केवल 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक अभिरक्षा में रहने के कारण ही नहीं है, अपितु उसके विरुद्ध आरोप पत्र दायर किए जाने के कारण भी है।

7. नियम, 1966 के नियम 9(1) एवं 9(2) को सुविधापूर्वक संदर्भ हेतु निम्नानुसार उद्धृत किया जाता है:-

> "9. (1) नियुक्ति प्राधिकारी अथवा कोई प्राधिकारी जिसके वह अधीनस्थ हो अथवा अनुशासनिक प्राधिकारी अथवा कोई अन्य प्राधिकारी जिसे

राज्यपाल द्वारा इस संबंध में सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा शक्ति प्रदान की गई हो, किसी शासकीय सेवक को निलंबित कर सकता है:-

(क) जहाँ उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित हो अथवा लंबित हो; अथवा

(ख) जहाँ उसके विरुद्ध किसी आपराधिक अपराध के संबंध में कोई मामला अन्वेषण, जांच अथवा विचारण के अधीन हो:

परंतु यह कि जब किसी शासकीय सेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार अथवा अन्य नैतिक अधमता से संबंधित आपराधिक अपराध हेतु आरोप पत्र/चालान दायर किया जाता है, तो उसे अनिवार्यतः निलंबित किया जाएगा]:

परंतु यह और भी कि जहाँ निलंबन का आदेश नियुक्ति प्राधिकारी से निम्न प्राधिकारी द्वारा पारित किया जाता है, तो ऐसा प्राधिकारी तत्काल नियुक्ति प्राधिकारी को उन परिस्थितियों की सूचना देगा जिनमें आदेश पारित किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2) एक शासकीय सेवक को नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश द्वारा निलंबित किया गया माना जाएगा –

(क) उसकी हिरासत की तारीख से प्रभावी, यदि वह अड़तालीस घंटे से अधिक की अवधि के लिए किसी आपराधिक आरोप पर अथवा अन्यथा अभिरक्षा/हिरासत में निरुद्ध रखा जाता है;

(ख) उसकी दोषसिद्धि की तारीख से प्रभावी, यदि किसी अपराध के लिए दोषसिद्धि की स्थिति में, उसे अड़तालीस घंटे से अधिक के कारावास की सजा सुनाई जाती है तथा ऐसी दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप उसे तत्काल पदच्युत अथवा हटाया नहीं जाता है अथवा अनिवार्यतः सेवानिवृत्त नहीं किया जाता है।

स्पष्टीकरण: इस उप-नियम के खंड (ख) में निर्दिष्ट अड़तालीस घंटे की अवधि की गणना दोषसिद्धि के पश्चात् कारावास के प्रारंभ से की जाएगी तथा इस प्रयोजन हेतु, यदि कोई हो, तो रुक-रुक कर होने वाली कारावास की अवधियों को भी ध्यान में लिया जाएगा।"

8. नियम 9(1) का प्रथम परंतुक यह कहता है कि जब किसी शासकीय सेवक के विरुद्ध आपराधिक अपराध हेतु आरोप पत्र दायर किया गया है, तो उसे अनिवार्यतः निलंबित किया जाएगा जब अपराध में भ्रष्टाचार अथवा अन्य नैतिक अधमता के आरोप सम्मिलित हों।नियम, 1966 के नियम 23 का खंड (**iii**) प्रावधान करता है कि नियम 22 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई शासकीय सेवक उसमें उल्लिखित सभी अथवा किसी भी आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें खंड (**iii**) के अंतर्गत नियम 9 के अधीन पारित अथवा पारित किया गया माना गया निलंबन का आदेश सम्मिलित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

तथापि, नियम 22 के खंड (**i**) के अंतर्गत यह प्रावधानित है कि 'इस भाग में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्यपाल द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी।' नियम 24 में यह उल्लेख किया गया है कि अपीलीय प्राधिकारी कौन हैं।यह कहता है कि कोई शासकीय सेवक, जिसमें वह व्यक्ति भी सम्मिलित है जो शासकीय सेवा में नहीं रहा है, नियम 23 में विनिर्दिष्ट सभी अथवा किसी भी आदेश के विरुद्ध अनुसूची में अथवा राज्यपाल के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष, या जहाँ ऐसा कोई प्राधिकारी विनिर्दिष्ट नहीं है, अपील प्रस्तुत कर सकता है। खंड (**i**) के अंतर्गत, यह प्रावधानित है कि जहाँ ऐसा शासकीय सेवक राज्य सिविल सेवा, श्रेणी **I** या श्रेणी **II** का सदस्य है या था अथवा राज्य सिविल पद, श्रेणी **I** या श्रेणी **II** का धारक है या था, तो नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष, जहाँ अपीलित

आदेश उसके अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया है; अथवा "राज्यपाल के समक्ष" जहाँ ऐसा आदेश किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया है।

9. नियम, 1966 के साथ संलग्न अनुसूची में, कार्यपालन अभियंता, श्रेणी I अधिकारी की नियुक्ति प्राधिकारी राज्य शासन है। उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 में, अपीलीय प्राधिकारी राज्यपाल के रूप में उल्लिखित है तथा इस प्रकार, अपील दायर करने हेतु नियमों के अंतर्गत एक अपीलीय प्राधिकारी प्रदान किया गया है।

10. याचिकाकर्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि कार्य संचालन नियमों के अंतर्गत, राज्य शासन के संयुक्त सचिव ने राज्य शासन की ओर से आदेश पारित किया है तथा यह छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से एवं आदेशानुसार पारित किया गया व्यक्त किया गया है, अतः, आदेश राज्यपाल द्वारा पारित किया गया होने के कारण, अपील महामहिम राज्यपाल के समक्ष स्वयं नहीं होगी। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता अपने प्रस्तुतीकरण के समर्थन में इस न्यायालय के समक्ष कोई निर्णय प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं हुए हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया तर्क इस आधार पर प्रतीत होता है कि चूंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के अंतर्गत शासन की प्रत्येक कार्यकारी कार्रवाई राज्यपाल के नाम से की गई व्यक्त किया जाना अपेक्षित है, ऐसे समस्त आदेश राज्यपाल द्वारा पारित आदेश बन जाते हैं, अतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 में अंतर्विष्ट उपबंधों को दृष्टिगत रखते हुए, महामहिम राज्यपाल के समक्ष अपील नहीं होगी।तथापि, यह देखा जाना अपेक्षित है कि नियम, 1966 की योजना के अंतर्गत, अनुसूची नियम, 1966 के नियम 9 के अधीन कार्रवाई/आदेश हेतु प्रावधान करती है जो इसके स्तंभ 3 और 4 में उल्लिखित प्राधिकारियों द्वारा किया जाना है तथा अपीलीय प्राधिकारी स्तंभ 5 में उल्लिखित है।नियम स्वयं विहित करते हैं कि जब राज्य शासन द्वारा कोई आदेश पारित किया जाता है, तो महामहिम राज्यपाल के समक्ष अपील

होगी, क्योंकि अन्यथा नियम 9 के अधीन दंड अधिरोपित करने वाला अथवा श्रेणी I अधिकारी को निलंबित करने वाला प्रत्येक आदेश, जो राज्य शासन द्वारा किया जाना अपेक्षित है, सदैव राज्यपाल के नाम से एवं आदेशानुसार किया गया व्यक्त किया जाएगा तथा राज्यपाल के समक्ष अपील नहीं होगी।

12. कार्यकारी कार्रवाई का राज्यपाल के नाम से की गई व्यक्त किए जाने की अपेक्षा कार्य संचालन नियमों की एक अपेक्षा है क्योंकि प्रत्येक फाइल जिसमें कार्यकारी कार्रवाई की जाती है, उसे राज्यपाल द्वारा देखा जाना अपेक्षित नहीं है, परंतु अनुच्छेद 166 के उपबंधों को दृष्टिगत रखते हुए, उसे उस रीति से व्यक्त किया जाना अपेक्षित है।

यथापि, नियम, 1966 प्रत्यायोजन / उप प्रत्यायोजन का एक मामला है जहां विधायिका ने नियम 9 के अधीन शक्ति प्रदत्त की है कि वह कतिपय अधिकारियों पर शास्ति अधिरोपित करे तथा उन्हें निलंबित करे और साथ ही साथ, समस्त श्रेणी I या अन्य विनिर्दिष्ट अधिकारियों के लिए महामहिम राज्यपाल के समक्ष अपील दायर करने हेतु अपीलीय उपचार का उपबंध करती है।कार्य संचालन के नियम तथा उप-प्रत्यायोजन एक-दूसरे से स्वतंत्र रूप से दो पृथक आयामों में प्रवर्तित होते हैं। जब कार्यपालिका कार्रवाई की जाती है और राज्यपाल के नाम में अभिव्यक्त की जाती है, तो ऐसी नस्तियां वास्तव में राज्यपाल को प्रेषित नहीं की जाती हैं, तथापि भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के आधार पर यह राज्य सरकार का आदेश बन जाता है।यह युक्ति कि जब प्राधिकरण ने फाइल को देख लिया है तो उसी प्राधिकरण के समक्ष अपील कोई कारगर उपचार नहीं है उपलब्ध नहीं है और प्रस्तुत प्रकरण में प्रयोज्य नहीं है इसलिए कि प्रत्येक पारित आदेश जो संविधान के अनुच्छेद 166 की अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु सत्यापित किया जाता है, वस्तुतः राज्यपाल द्वारा नहीं देखा जाता है, इसलिए, अपील समान प्राधिकारी के समक्ष नहीं है, वरन् पृथक प्राधिकारी के समक्ष है जो

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विधि के अधीन अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगा। जब सरकार को किसी विधि के द्वारा कुछ शक्तियां प्रदान की जाती हैं, तो सरकार या तो कार्य-व्यवहार नियमों के अंतर्गत कार्य कर सकती है अथवा उप-प्रत्यायोजन की प्रविधि का आश्रय ले सकती है।इसलिए, जब विशेष मामले से निबटा जाता है तथा नियमों के अंतर्गत समाविष्ट किया जाता है और शिकायती आदेश ऐसे आदेश को पारित करने के लिए नियमों के अधीन सक्षम प्राधिकरण द्वारा पारित किया जाता है तथा अपील की व्यवस्था स्वयं नियमों में उपबंधित है, तो वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता का सिद्धांत पूर्णरूपेण प्रयोज्य होगा और याचिकाकर्ता को उक्त वैकल्पिक उपचार को अपास्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 166 का आश्रय लेने या संरक्षण ग्रहण करने की अनुज्ञा नहीं दी जा सकती है।यदि उक्त तर्क मान्य किया जाता है, तो राज्य सरकार द्वारा पारित एवं राज्यपाल के नाम में अभिव्यक्त सहस्त्रों आदेश परमादेश न्यायालय के समक्ष प्रत्यक्षतः विचारार्थ ग्राह्य होंगे यद्यपि सम्बद्ध सेवा नियमों में अपीलीय उपचार की व्यवस्था की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क अन्यथा भी दोषपूर्ण है जब इसकी जांच की जाती है तथा कॉमन कॉज, एक पंजीकृत सोसायटी बनाम भारत संघ एवं अन्य {(1999) 6 **SCC** 667} के विषय में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के प्रकाश में विचार किया जाता है।उक्त मामले में, उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह तर्क उठाया गया था कि जब कोई मंत्री संघ मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में आदेश पारित करता है, तो वह वास्तव में भारत के राष्ट्रपति की ओर से कार्य संपादित करता है न कि केवल व्यक्तिगत रूप से एक मंत्री के रूप में।उक्त तर्क का निराकरण करते हुए एवं संघ की कार्यपालक शक्ति से सम्बद्ध संविधान के अनुच्छेद 73 से 77 में निहित उपबन्धों तथा संविधान के अनुच्छेद 166 में निहित राज्य की कार्यपालक शक्ति के विषय में भी संदर्भित करने के पश्चात्,

निर्णय के पैरा-26 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि 'यद्यपि कोई आदेश राष्ट्रपति के नाम से जारी किया जाता है, किन्तु यह राष्ट्रपति द्वारा व्यक्तिगत रूप से पारित आदेश नहीं बन जाता है, अपितु मूलतः और अनिवार्यतः उस मंत्री का आदेश बना रहता है जिसकी सलाह पर राष्ट्रपति ने कार्य किया था तथा उस आदेश को पारित किया था।तत्पश्चात् इसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अनुच्छेद 77 (1) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाइयों को राष्ट्रपति के नाम से व्यक्त किया जाना आवश्यक है; परन्तु इससे वह आदेश राष्ट्रपति द्वारा स्वयं पारित आदेश नहीं बन जाएगा।'

14. इस न्यायालय के अभिमत में, उच्चतम न्यायालय का उपरोक्त निर्णय याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपस्थापित तर्क का सम्पूर्ण प्रत्युत्तर है। तदनुसार, यह न्यायालय यह अभिनिर्धारित करता है कि यद्यपि निलंबन का आक्षेपित आदेश छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के लिए तथा उनकी ओर से पारित किया गया है, ऐसा व्यक्त करते हुए जारी किया गया हो, यह राज्यपाल द्वारा व्यक्तिगत रूप से पारित आदेश नहीं हो जाता है और नियम, 1966 के नियम 23 के अंतर्गत महामहिम राज्यपाल के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का उपचार याचिकाकर्ता के लिए उपलब्ध है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. परिणामस्वरूप, यह रिट याचिका संधारणीय नहीं है और तदनुसार इसे खारिज किया जाता है।

हस्ताक्षर/-

प्रशांत कुमार मिश्रा

न्यायमूर्ति

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated by Adv.

Hemlata Goswami

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur